पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–127(स0अनु0)/आ०प्र० दिनांक 26.03.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–101–अनुग्रहिक राहत–उप शीर्ष–0003–**संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान** विपत्र कोड संख्या एन० 2245021010003 के मद् में कुल 1.50 (एक लाख पचास हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते सम्बन्धित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2014–15 में निकासी करने की स्वीकृति दी जीती है।

मांग संख्या–39, यूनिट कोड–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा।

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि (लाख रू० में)	वर्त्तमान उपावंटित राशि (लाख रू० में)	योग (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
01.	**अंचल अधिकारी, पटना सदर**	**00.00**	**1.50**	**1.50**
	कुल उपावंटित राशि :–	**00.00**	**1.50**	**1.50**
	जिला में आवंटन के रूप में सुरक्षित राशि			**00.00**
	कुल योग :–			**1.50**

1. यह आवंटन अग्निकांड अभिलेख संख्या– 04/12–13–मृतक चाँदनी कुमारी (04) वर्ष, पिता–स्व0 दीपक प्रसाद तथा माता देवरानी देवी, को भुगतान हेतु उपावंटित की जाती है।
2. यह उपावंटन चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–101–अनुग्रहिक राहत–उप शीर्ष–0003–**संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान** विपत्र कोड संख्या एन० 2245021010003 के मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उपावंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) के कारण मृत व्यक्ति के निकटतम् आश्रित को अनुग्रह अनुदान भुगतान मद में किया जायेगा। सम्बन्धित अंचलाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अग्निकांड से मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में देय राशि का भुगतान करेंगें।
4. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से हीं की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।
5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी

एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

6. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 31.03.2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-10/2012-13 410 /आ०प्र०, दिनांक 30/03/15

प्रतिलिपि :– सम्बन्धित अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना/आई०टी० मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

30/3

जिला पदाधिकारी,
पटना।